increasing the proportion for development of infrastructure, more efficient use of resources to raise productivity and ensuring remunerative prices to farmers to enable them to use savings for higher investment. A new Rural Infrastructure Development Fund within NABARD has been established to provide credit for medium and minor irrigation and soil conservation projects. A Scheme of Accelerated Irrigation Benefit Programme • (AIBP) is also initiated for providing assistance to States by way of loans for timely completion of selected large and multi-purpose irrigation projects.

त्रिपुरा में कृषि के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाएं

2889. **श्री अननतराय देवशंकर दवेः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) त्रिपुरा को खाद्यान्नों के उत्पादन में आन्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में कृषि के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य को सस्ती दरों पर उन्नत किस्मों के बीज और उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में त्रिपुरा में उर्वरकों की प्रति-व्यक्ति खपत बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) कृषि के आधुनिकीकरण और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए त्रिपुरा सरकार की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा कार्याविन्त की जा रही केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की एक सूची विवरण में दी गई है, (नीचे देखिए)

(ख) किसानो को गुणवत्ता प्राप्त बीजों की आपूर्ति का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, त्रिपुरा सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को बीजों की ढोलाई संबंधी राजसहायता की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगमों द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर और समय पर बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। किसानों के प्रशिक्षण, बीज की ढुलाई पर सहायता, प्रमाणित बीज प्रदर्शन और बीज संवर्धन फार्म में सुविधाओं के बारे में त्रिपुरा में एक एकीकृत बीज विकास योजना भी शुरु की गई है और 1996-97 के दौरान त्रिपुरा सरकार को 15.52 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। फसल उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रमों के अन्तर्गत बीजों की अधिक उपज देने वाली स्थान-विशिष्ट किस्मों के उपयोग के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) फसल क्षेत्र के लिए उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत दर्शाने वाली सूचना विवरण II में दी गई है। (नीचे देखिए) 1995-96 के दौरान त्रिपुरा में प्रति हैक्टेयर खपत लगभग 19 कि.ग्रा. एन+पी+के थी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर खपत लगभग 75 कि.ग्रा. एन+पी+ के थी।

(घ) त्रिपुरा सहित देश में उर्वरकों के उपयोग में वृद्वि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैः-

1. 6.7.1996 से स्वदेशी डी.ए.पी. पर 3000 रुपए प्रति टन एन.ओ.पी. और आयातित डी.ए.पी. प्रत्येक पर 1500 रुपए प्रति टन की रियायत, स्वदेशी मिश्रणों पर प्रति टन आनुपातिक रियायत और सिंगल सुपर फास्फेट पर 500/- रुपए प्रति टन की रियायत दी जा रही है। सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से प्रति टन रियायत को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि इन उर्वरकों के अधिक मात्रा मे प्रयोग को बढ़ावाआ दिया जा सके। संशोधित प्रति टन रियायत इस प्रकार हैः- स्वदेशी डी. ए.पी. पर 3750 रुपए प्रति टन, आयातित डी.ए.पी पर 2250 रुपए प्रति टन, एम.ओ.पी. पर 2000 रुपए प्रति टन, सिंगल सुपर फास्फेट पर 600/- रुपए और स्वदेशी मिश्रणो पर आनुपातिक रियायत।

2. छोटी बोरियों में उर्वरकों की किसानों को बिक्री।

विवरण।

त्रिपुरा में क्रियान्वित केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची।

क्र.स.	योजनाओं का नाम
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम –चावल
2.	गन्ना आधारित फसल पद्वति का उत्तम विकास
3.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम

क्र.स.	योजनओ का नाम
4.	राष्ट्रीय दलहन परियोजन
5.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
6.	आयल पॉम विकास कार्यक्रम
7.	वर्षासिंचित क्षेत्रो के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
8.	उर्वरक का संतुलित एवं समेकित प्रयोग
9.	कम खपत व वर्षासिंचित क्षेत्रो मेम उर्वरक उपयोग का विकास
10.	एकीकृत बीज विकास योजना
11.	समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव-नियंत्रं प्रयोगशालाओं को स्थापित करने/सुदृढ़ करने कि लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता अनुदान
12.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
13.	उत्तर –पूर्वी राज्यों में कृषि विस्तार का सुदृढ़ीकरण
14.	देश में किसानों का एक जगह से दूसरी जगह आजा- जाना
15.	राज्य भूमि उपयोग बोर्ड
16.	नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह –क्षेत्रों मे मृदा संरक्षण
17.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
18.	मधुमक्खी पालन का विकास
19.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
20.	वाणिज्यिक पुष्पोन्पादन का विकास
21.	खुम्भी का विकास
21.	उष्ण कटीबन्धी, शुष्क व शीतोष्ण क्षेत्र के फलों का समेकित विकास
23.	कन्द –मूल फसलों का विकास
24.	पान की बेल का विकास
25.	सब्जियों का विकास
26.	समेकित मसाला विकास
27.	प्रशिक्षण एवं विस्तार (मात्स्यिकी)
28.	मछली पालन विकास एजेन्सियां
29.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
30	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांत्स्यिकी
31.	एल.डी.बी.के. ऋण-पत्रों में निवेश
32.	गैर अतिदेय कवर योजना
33.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना
34.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
35.	कृषि सांख्यिकी की रिपोर्ट देने के लिए एजेन्सी की स्थापना
36.	पशु धन संगणना
37.	कृषि संगणना

विवरण- II

संस्थागत क्षेत्र के लिए उर्वरकों की प्रति हैक्टर खपत

(एन+पी+के कि.ग्रा.)

क्र. स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1990-91	1991-92	1992-93 (अनुमानित)	1993-94 (अनुमानित)	1994-95 (अनुमानित)	1995-96 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	127.28	119.94	118.72	121.01	128.92	137.30
2.	कर्नाटक	70.83	73.08	62.85	64.86	66.29	75.46
3.	केरल	80.92	74.30	66.61	58.03	65.42	66.73
4.	तमिलानडु	125.29	120.28	113.13	110.50	123.76	106.89
5.	गुजरात	66.77	69.82	65.13	60.81	74.37	68.48
6.	मध्य प्रदेश	34.02	35.07	33.31	32.51	37.63	34.71
7.	महाराष्ट्र	59.82	62.78	53.83	56.78	66.10	65.34

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राजस्थान	19.14.	24.37	24.32	24.91	29.85	31.86
9.	हरियाणा	99.05	114.39	104.01	114.78	121.71	123.68
10.	हिमाचल प्रदेश	35.16	34.37	31.45	29.41	30.03	30.50
11.	जम्मु और कश्मीर	39.96	44.44	41.35	39.41	43.12	47.50
12.	पंजाब	159.67	165.56	158.81	158.83	170.16	167.28
13.	उत्तर प्रदेश	87.95	88.94	84.88	89.25	96.58	101.45
14.	बिहार	57.08	59.49	63.68	62.56	69.79	76.96
15.	उडीसा	20.08	19.97	21.55	22.06	23.36	25.23
16.	पश्चिम बंगाल	86.93	87.18	85.63	87.25	88.24	99.26
17.	अरुणाचल प्रदेश	1.79	1.86	1.96	2.27	2.17	1.53
18.	असम	9.92	9.20	6.91	8.70	9.65	12.81
19.	त्रिपुरा	19.96	23.32	20.15	17.76	17.35	19.07
20.	मणिपुर	40.87	45.98	48.98	48.69	45.74	63.22
21.	मेघालय	11.03	13.90	12.49	13.43	13.51	11.72
22.	नागालैंड	5.30	3.29	3.25	4.77	2.83	2.29
23.	मिजोरम	9.20	8.33	11.75	9.23	9.21	7.62
24	सिक्किम	10.11	11.79	8.77	7.90	6.20	8.40
	अखिल भारत	67.48	69.84	65.53	66.67	73.12	74.81

छोटे किसानों की कृषि परियोजनाओ को बढ़ावा देने हेतु योजना

2890. **श्रीमति आंनदी ज. पटेल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे किसानों की कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे किसानों को इस योजना के माध्यम से किस प्रकार के लाभ मिलेंगे; और

(घ) क्या उक्त योजना को लागू कर दिया गया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) जी हां। वर्ष 1992-93 में केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में, सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 18 जनवरी, 1994 के स्बायत अस्तित्व वाले कारपोरेट के तौर पर लघु कृषक कृषि-व्यवसाय परिसंघ का गठन किया गया जिसे भारतीय रिजर्ब बैंक, नाबार्ड और आई.डी.बी.आई. द्वारा वित्तपोषित किया गया। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि अघु कृषक व्यवसाय संघ आर्थिक कार्यकुशलता, पर्यावरणीय अनुकूलता और सामाजिक सान्यता के सिद्वान्तों के आधार पर कार्य करेगा और 12 जिलों नामत: बारपेटा (असम); महबूब नगर (आंध्र प्रदेश); बलसाद (गुजरात); धारवाड़ (कर्नाटक); इर्नाकुलम (केरल); जबलपुर (मध्य प्रदेश); गंजम (उडीसा); पाण्डिचेरी; बीकानेर (राजस्थान); धर्मापुरी (तमिलुनाडु); पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश); और मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), में शुरू होगा। लघु कृषक –व्यवसाय परिसंघ की कल्पना शासकीय तथा गैर-शासकीय संस्थाओं और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उघोगों में एक